परिशिष्ट "अ"

[20/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 3212]

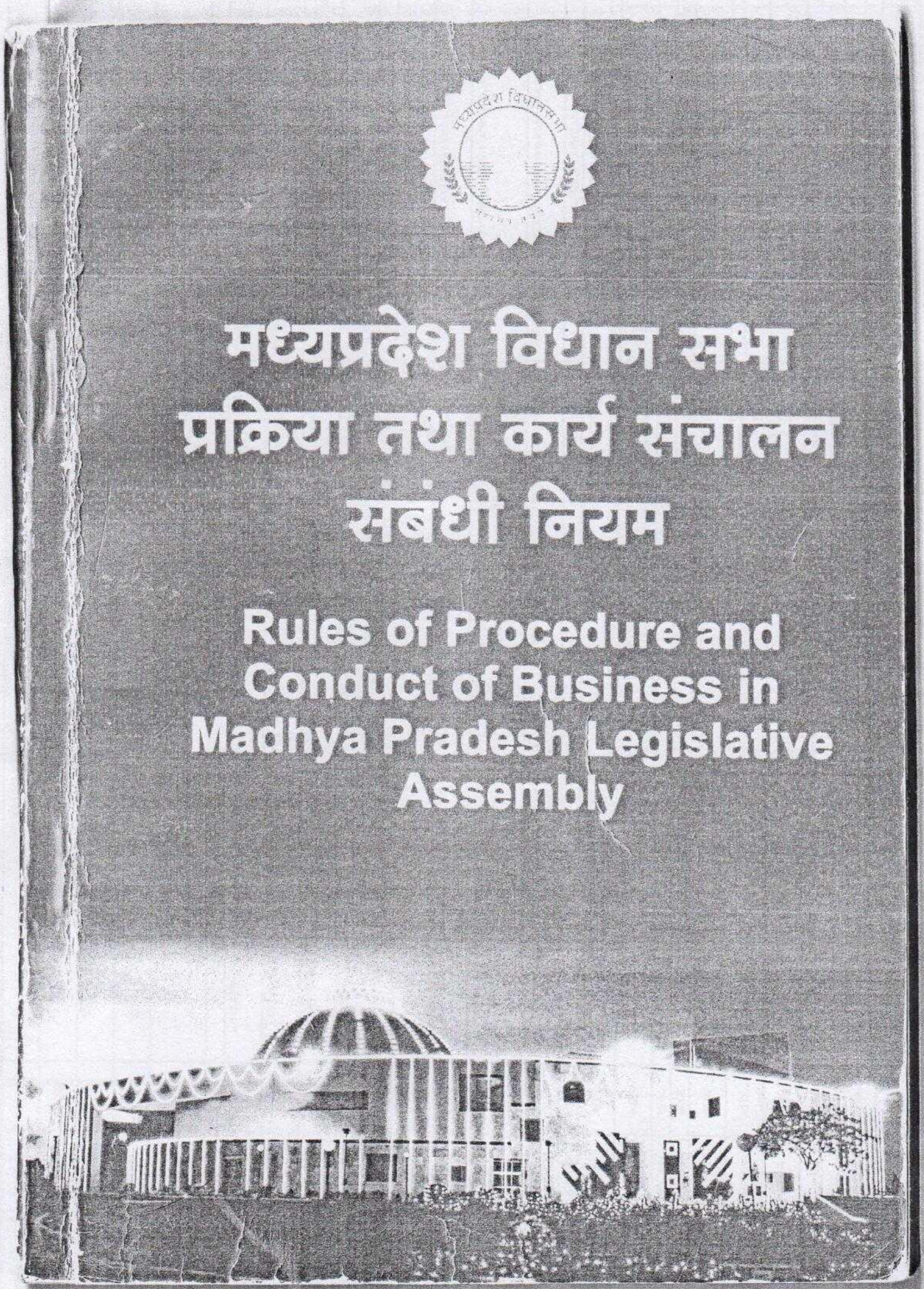

(6) यदि किसी सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी हो तो वह उस समय प्रश्न के लिये अपने स्थान पर होगा, जब अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाये और संबंधित मंत्री तुरन्त उत्तर देगा :

परन्तु जब कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम में दिखाया गया हो तो अध्यक्ष प्रथम सदस्य का नाम या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य नाम पुकारेगा.

(7) अन्य प्रकरणों में, अल्प सूचना प्रश्नों के लिये प्रक्रिया वही होगी जो ऐसे रूप भेदों के साथ, जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, मौखिक उत्तर के लिये साधारण प्रश्नों के लिये है.

जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर न दिया गया हो, उनके उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

51. जानकारी प्राप्त न होने के कारण जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर नियत तिथि को न दिया गया हो, उन समस्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले सत्र के प्रथम दिन पटल पर रखा जायेगा :

परन्तु ऐसे प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखना आवश्यक न होगा जो सभा के विघटन के ठीक पूर्व के सत्र में पूछे गये थे, चाहे ऐसा विघटन अवधि की समाप्ति पर या अन्यथा हुआ हो.

[1][51-क. . . . .]

उत्तर पटलित न होने की दशा में प्रकरण जांच हेतु समिति को सौंपा जाना.

[2][51-क.-जिन प्रश्नों के उत्तर नियम 51 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर नहीं रखे गये हों उन प्रश्नों को अनुवर्ती सत्र उपरांत प्रश्न एवं संदर्भ समिति को नियम 234-घ घ की अपेक्षानुसार जांच, परीक्षण व अनुशंसा हेतु सौंपा जा सकेगा.].

---

1. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 140, दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 द्वारा विलोपित किया गया. अधिसूचना क्रमांक 27860/वि.स./विधान/04, दिनांक 7 दिसम्बर 2004, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित.
2. मध्यप्रदेश विधानसभा पत्रक भाग-दो क्रमांक 37, दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अधिसूचना क्रमांक. 7208/वि.स./विधान/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित.